

राजकीय महाविद्यालय, पिहानी

वाचनालय

वाचनालय प्रयोग हेतु छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

1. वाचनालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को वाचनालय पंजिका में अपने हस्ताक्षर करने हैं।
2. वाचनालय में समाचार पत्र/पत्रिका एवं पुस्तक के अध्ययन हेतु छात्र/छात्राओं को अपना परिचय पत्र वाचनालय कर्मी के पास जमा करना होगा।
3. वाचनालय कक्ष से बाहर अध्ययन हेतु कोई भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका छात्र/छात्रा को निर्गत नहीं की जाएगी।
4. वाचनालय में पूर्ण शान्ति बनाए रखें।
5. वाचनालय एवं महाविद्यालय परिसर में धूमपान वर्जित है।
6. वाचनालय में बातचीत करना एवं मोबाइल फोन का प्रयोग करना वर्जित है।
7. वाचनालय कर्मी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना छात्र/छात्राओं हेतु अनिवार्य है।
8. समाचार पत्र/पत्रिका के किसी भी पृष्ठ को फाड़ना अथवा कोई निशान बनाना वर्जित है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वाचनालय खुलने का समय: प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 2:30 बजे तक।



(वाचनालय प्रभारी)



(प्राचार्य)

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय
पिहानी (हरदोई)